The Chhattisgarh Food and Nutrition Security (Amendment) Act, 2019

Act 13 of 2019

Keyword(s):
Food, Nutrition

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 548] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2019 — भाद्रपद 9, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8868/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 की उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ञ) "अपवर्जित परिवार" से अभिप्रेत है ऐसा परिवार, जिसे इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किसी पात्रता के लिये अपात्र अधिसूचित किया जाये;

(ख) खण्ड (य) का लोप किया जाये.

धारा 15 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) में,-

(क) कोलन चिन्ह ":" के स्थान पर, पूर्ण विराम चिन्ह "।" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) प्रथम परंतुक का लोप किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8868/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-08-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 13 of 2019)

THE CHHATTISGARH FOOD AND NUTRITION SECURITY (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act to further amend the Chhattisgarh Food and Nutrition Security Act, 2012 (No. 5 of 2013).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Food and Nutrition Security (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Food and Nutrition Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1) of Section 2 -

(a) for clause (j), the following shall be substituted, namely :-

"(j) "Excluded Households" means households which are notified ineligible for any entitlement by the State Government under sub-section (4) of Section 15 of this Act;"

(b) clause (z) shall be omitted.

Amendment of Section 15.

3. In sub-section (4) of Section 15 of the Principal Act,-

(a) for the punctuation colon ":", the punctuation full stop "." shall be substituted.

(b) first proviso shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.